छत्तीसगढ़ विधानसभा
पत्रक भाग-एक
संक्षिप्त कार्य विवरण
गुरुवार, दिनांक 14 जनवरी, 2010
(पौष-24, शक संवत् 1931)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

माननीय अध्यक्ष ने सदस्यों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी।

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 06 (कुल 06) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए। प्रश्न संख्या 04 पर श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी, सदस्य की अनुपस्थिति में श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य अधिकृत थे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 6 तारांकित एवं 18 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि रायपुर की प्रथम महिला श्रीमती किरणमयी नायक अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थित हैं और उनका अभिनंदन किया। सदन द्वारा मेजों की थपथपाहट से उनका स्वागत किया गया।

प्रश्नकाल समाप्त होते ही, प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के संबंध में, अपनी बात रखते हुए तत्संबंध में प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने का आग्रह किया गया।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था संबंधी प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव को अग्राह्य कर दिया है।

श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष ने आसंदी के निर्णय का सम्मान करते हुए पुनर्विचार का आग्रह किया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि जब आसंदी से व्यवस्था आ गई है तो, उस पर चर्चा नहीं की जा सकती।

3. व्यवस्था

स्थगन प्रस्ताव में जिन घटनाओं का उल्लेख किया गया है, उन पर चर्चा हो चुकी है तथा ध्यानाकर्षण के रूप में भी ग्राह्य है, जो सदन में आयेंगे। स्थगन प्रस्ताव में सन् 2004 और 2008 की घटनाओं का भी उल्लेख करते हुए प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव विलंबित है और प्रथम अवसर पर प्रस्तुत नहीं है। अत: स्थगन प्रस्ताव मैंने कक्ष में ही अग्राह्य कर दिया है।

4. बहिर्गमन

श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा शासन प्रस्तुत स्थगन प्रस्तावों पर चर्चा नहीं कराना चाहती इसके विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

5. पत्रों का पटल रखा जाना

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वर्ष 2009-2010 के बजट की प्रथम एवं द्वितीय तिमाही के आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा पटल पर रखी।

6.ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य ने जिला रायगढ़ स्थित एम.एस.पी.स्टील एवं पावर प्लांट लिमिटेड के सुरक्षा कर्मियों द्वारा छात्रों पर गोलीचालन किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री विजय बघेल, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया ।

7. बहिर्गमन

श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों द्वारा ध्यानाकर्षण के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

8.ध्यानाकर्षण सूचना(क्रमशः)

(2) श्री देवजी पटेल, सदस्य ने प्रदेश के बाल श्रमिक स्कूलों के संचालन में अनियमितता किये जाने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री चंद्रशेखर साहू, श्रम मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

9. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) महंत रामसुंदर दास, सदस्य ने जैजैपुर विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई के लिए नहर से कम पानी दिये जाने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश होने,

(2) श्री अग्नि चंद्राकर, सदस्य ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी केन्द्रों में बारदाना उपलब्ध कराये जाने,

(3) श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य ने जिला कबीरधाम, जनपद पंचायत पंडरिया में कृषकों को सिंचाई सुविधा समय पर नहीं मिलने,

(4) श्री भीमा मण्डावी, सदस्य ने दंतेवाड़ा शहर के पास बायपास रोड़ का निर्माण किये जाने, तथा

(5) श्री भोलाराम साहू, सदस्य ने सनबोरा बांध के डुबान में आने वाली भूमि का मुआवजा राशि दिलवाने, संबंधी शून्य काल की सूचना पढ़ी।

10. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री सेवकराम नेताम, सभापति ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन इस प्रकार है:-

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 15 जनवरी, 2010 को चर्चा के लिये आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया, तथा निम्नलिखित अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निम्नानुसार समय निर्धारित करने की सिफारिश की है:-

अशासकीय संकल्प क्रं.	*सदस्य का नाम*	*समय*
1. (क्रमांक - 02)	महंत रामसुंदर दास	1 घंटा
2. (क्रमांक - 04)	श्री देवजी पटेल	1 घंटा
3. (क्रमांक - 05)	डॉ.हरिदास भारद्वाज	30 मिनट

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

11. याचिकाओं की प्रस्तुति

श्री बोधराम कंवर, सदस्य ने जिला कोरबा के विकासखंड कटघोरा के अंतर्गतः-

(i) ग्राम घुड़देवा में संचालित हाईस्कूल का उन्नयन हायर सेकण्डरी स्कूल में करने, तथा

(ii) ग्राम अरदा में प्री-मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास प्रारंभ करने

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत की।

12.महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा(क्रमशः)

डॉ.सुभाऊ कश्यप,

(1.30 से 3.00 बजे तक अंतराल)

(सभापति महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री अमरजीत भगत, दयालदास बघेल, अग्नि चंद्राकर, राजूसिंह ठाकुर, भजन सिंह निरंकारी, विरेन्द्र कुमार साहू, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, खेदूराम साहू, ब्रम्हानंद, टी.एस.सिंहदेव,

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री मदनलाल साहू, महंत रामसुंदर दास, डोमनलाल कोर्सेवाड़ा, रामदयाल उइके, सौरभ सिंह,

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से नेता प्रतिपक्ष का भाषण आरंभ होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

श्री दीपक कुमार पटेल, श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष (जारी)

सायं 5.54 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 15 फरवरी, 2009 (पौष 25, शक संवत् 1931) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा